कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म.प्र.)

:: **आदेश** ::

क्रमांकः 04/चार-3-2/94 **दिनांकः** .01.2019

मैं, **श्रीमती सुनीता यादव**, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया रजिस्ट्री मेमोरेण्डम क्रमांक डी/394 जबलपुर दिनांक 09.01.2014 एवं सी/1864 जबलपुर दिनांक 27.04.2017 के तारतम्य में तहसील न्यायालय स्थापना भाण्डेर पर पूर्व में पदस्थ तत्कालीन श्री मुकेश सिंह चौहान जे.एम.एफ.सी. भाण्डेर का स्थानांतरण जिला स्थापना शिवपुरी होने के फलस्वरूप कार्यालय आदेश क्रमांक 35 दिनांक 08.11.2017 में आंशिक संशोधन करते हुए तहसील भाण्डेर में **"मजिस्ट्रेट न्यायालयों के विचारण योग्य महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों"** से संबंधित लंबित प्रकरणों के विधिवत् विचारण हेतु तहसील भाण्डेर में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (श्री रविन्द्र कुमार शर्मा) भाण्डेर को आगामी आदेश तक अधिकृत करती हूं।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील माना जावे।

Sd/-
(श्रीमती सुनीता यादव)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)

पृष्ठांकन कं. 97(3)/चार-3-2/94 **दतिया, दिनांकः** 14.01.2019

प्रतिलिपि :

1. **मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,दतिया** की ओर तहसील मुख्यालय भाण्डेर पर मजिस्ट्रेट न्यायालयों के विचारण योग्य महिलाओं के विरूद्ध घटित अपराधों से संबंधित समस्त लंबित प्रकरणों को उक्त आदेश के अनुरूप अधिकृत(मनोनीत) अधिकारी के न्यायालय में विधिवत् विचारण हेतु अंतरण किये जाने एवं आदेश में उल्लेखित प्रकृति के मामलों के अभियोग पत्र भविष्य में (आगामी आदेश पर्यन्त तक) संबंधित अधिकृत(मनोनीत) न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्य विभाजन पत्रक में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही की जाकर अवगत कराये जाने हेतु एवं पालनार्थ प्रेषित।

2. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,भाण्डेर जिला दतिया **श्री रविन्द्र कुमार शर्मा** की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

3. प्रभारी अधिकारी सूचना एवं प्रौद्योगिकी अनुभाग दतिया की ओर सूचनार्थ एवं जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

4. अध्यक्ष, तहसील अभिभाषक संघ भाण्डेर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Sunita
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दतिया (म.प्र.)